

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
"मंत्रालय"  
वल्गाभ भवन, भोपाल-462004.

"परिशिष्ट एक"


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 23 जून, 2008.

क्रमांक: एफ 19/53/2008/1/4, :: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना से संबंधित दैनन्दिनी के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं अन्य संबंधित मामलों में उपयुक्त निर्णय लेने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सशक्त समिति का गठन किया जाता है :-

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1.  | मुख्य सचिव                             | अध्यक्ष    |
| 2.  | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन     | सदस्य      |
| 3.  | प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार | सदस्य      |
| 4.  | प्रमुख सचिव, वित्त                     | सदस्य      |
| 5.  | प्रमुख सचिव, राजस्व                    | सदस्य      |
| 6.  | प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण         | सदस्य      |
| 7.  | प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास   | सदस्य      |
| 8.  | प्रमुख सचिव, लोक निर्माण               | सदस्य      |
| 9.  | प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा                | सदस्य      |
| 10. | मुख्य मंत्री जी के सचिव                | सदस्य      |
| 11. | प्रबंध संचालक, ट्रायफेक                | सदस्य सचिव |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



§ सुदेश कुमार §  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग.